JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला सम्मान बचत पत्र योजना – एक विश्लेषण

डॉ. जया कैथवास
सहा.प्राध्यापक (वाणिज्य)
शा.कुसुम महाविद्यालय
सिवनी–मालवा (म.प्र.)

भारतीय डाकघरों में वर्तमान में कई लघु बचत योजनाएं संचालित हैं, जो उच्च ब्याज दर के साथ–साथ आयकर में भी लाभ प्रदान करती हैं। इन सभी योजनाओं की यह विशेषता है कि इन्हें भारत सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त है। यह सभी योजनाएं अलग–अलग निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप निवेश विकल्प प्रदान करती हैं। भारतीय डाकघरों की प्रमुख योजनाआं में पब्लिक प्रॉवीडेंड फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इंकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आदि हैं।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना भी इसी प्रकार की भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रकार की लघु बचत योजना है। इस योजना में महिलाओं की छोटी–छोटी बचतों पर निवेश के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रूपये पर 7.5 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी भारतीय महिला या कन्या डाकघर या पात्र बैंक में न्यूनतम 1,000 रूपये से अपना खाता खोल सकती है।

उद्देश्य –

भारत में महिलाएं देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिये महिलाओं के सशक्तिकरण में लघु बचत योजनाओं के योगदान का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए संचालित की जा रही महिला सम्मान बचत पत्र योजना का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण में इस योजना की भूमिका को रेखांकित करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द संकेत –

महिला सशक्तिकरण हेतु महिला केन्द्रित लघु बचत योजनाएं, आवश्यकता, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के प्रावधान, प्रक्रिया एवं तुलनात्मक अध्ययन।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना का प्रारंभ –

महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा वर्ष 2023–24 के आम बजट के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई थी। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से सम्पूर्ण भारत में लागू है। इस योजना की शुरूआत सबसे पहले डाकघरों के माध्यम से की गई थी। योजना को अप्रैल 2023 में अधिसूचना जारी करके तत्काल 1 लाख 59 हजार डाकघरों में उपलब्ध कराया गया था।

वित्त मंत्रालय द्वारा 27 जून 2023 को ई–गजट नोटिफिकेशन जारी करके सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पात्र निजी क्षेत्र को भी इस योजना को संचालित करने और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति पदान की है।

वर्तमान में इस योजना को कुछ बैंकों के माध्यम से भी क्रियान्वित किया जा रहा है। बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला बैंक है, जो इस योजना के अंतर्गत अपनी सभी शाखाओं में पात्र महिलाओं को खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के उद्देश्य –

महिला सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुए संचालित की जा रही महिला सम्मान बचत पत्र योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. महिलाओं में निवेश की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
2. महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाना।
3. लघु बचत को प्रोत्साहित करना।
4. वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना।
5. महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करना।
6. महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के प्रावधान –

1. महिला सम्मान बचत पत्र योजना में कोई भी महिला दो वर्ष की अवधि के लिये खाता खोल सकती है।
2. इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रूपये और अधिकतम राशि 2 लाख रूपये है।
3. योजना के अंतर्गत महिला निवेशकों को तिमाही 7.5 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है।
4. इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर खाता खोलने की तिथि से एक वर्ष बाद जमा रकम का 40 प्रतिशत निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है।

5. इस योजना के अंतर्गत महिला खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर समय से पूर्व भी खाता बंद किया जा सकता है और राशि उत्तराधिकारी को दी जा सकती है।
6. इस योजना के अंतर्गत गंभीर परिस्थिति, बीमारी इत्यादि की दशा में समय से पूर्व खाता बंद करने की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु ऐसी स्थिति में योजना की मानक दर से कम दर से ब्याज दिया जा सकेगा।
7. इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने की तिथि से छः माह बाद 2 प्रतिशत जुर्माना देकर खाता बंद करने का अनुरोध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत होगी।
8. इस योजना के अंतर्गत 2 वर्ष तक कोई भी महिला 2 लाख रूपये तक निवेश कर सकती है। यह निवेश छोटी–छोटी किस्तों में या एकमुश्त भी हो सकता है।
9. इस योजना के अंतर्गत अवयस्क कन्या का खाता खोलने के लिये अभिभावक की आवश्यकता होगी।
10. वर्तमान में इस योजना 31 मार्च 2025 तक वैद्य किया गया है।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के लिये पात्रता की शर्तें –

1. देश की सभी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिये पात्र हैं।
2. आवेदन करने के लिये महिला अथवा कन्या का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
3. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिये महिला अथवा कन्या के परिवार की आय 7 लाख रूपये से कम होना चाहिये।
4. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिये आयु का बंधन नहीं हैं, किन्तु अवयस्क कन्या की स्थिति में अभिभावक के माध्यम से खाता खोलने की आवश्यकता होगी।
5. इस योजना के अंतर्गत किसी भी वर्ग, धर्म, जाति की महिलाएं अथवा कन्याएं आवेदन कर सकती हैं।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के लिये आवश्यक प्रपत्र –

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिये निम्न प्रपत्रों की आवश्यकता होगी –

1- महिला का आधार कार्ड (अनिवार्य)

2- मोबाइल क्रमांक (अनिवार्य)

3- पासपोर्ट साइज फोटो (अनिवार्य)

4- पहचान पत्र/राशन कार्ड (यदि आवश्यक हो)

5- जाति प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

6- निवास प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)

7- पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो)

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के लाभ –

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के माध्यम से महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हो सकते हैं –

1- इस योजना के अंतर्गत महिलाएं अपनी लघु बचत को निवेश करके अधिक ब्याज प्राप्त कर सकती हैं।

2- इस योजना के अंतर्गत दो वर्ष के पश्चात् ब्याज सहित मूलधन की राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार अन्य योजनाओं की तुलना में इस योजना में कम समय में अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है।

3- इस योजना के अंतर्गत केवल 1,000 रूपये से खाता खोला जा सकता है।

4- इस योजना के अंतर्गत आवश्यकता होने पर खाता खोलने की तिथि से 1 वर्ष बाद अधिकतम 40 प्रतिशत राशि निकाली जा सकती है।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन –

इस योजना के अंतर्गत पात्रता के मानदण्डों को पूर्ण करने वाली महिलाओं अथवा कन्या का चयन डाकघर अथवा सम्बंधित बैंक द्वारा किया जाता है। लाभार्थी का चयन करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि लाभार्थी महिला है तथा भारत की नागरिक है। साथ ही महिला के पास सभी आवश्यक प्रपत्रों का होना आवश्यक होता है।

निवेश पर प्राप्त होने वाली राशि –

महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत 7.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात् राशि प्राप्त हो जाती है। दो वर्ष पश्चात् परिपक्वता पर प्राप्त होने वाली राशि का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है –

तालिका – 1

निवेश की गई राशि तथा दो वर्ष पश्चात् प्राप्त होने वाली राशि

निवेश की गई राशि (रूपये)	परिपक्वता पर प्राप्त राशि (रूपये)
1,000	1,160
2,000	2,320
5,000	5801
10,000	11,606
20,000	23,204
1,00,000	1,16,022
2,00,000	2,32,044

स्त्रोत – ्ण्पदकपंचवेजण्बवउ

निष्कर्ष –

लघु बचत योजनाएं भारत में घरेलू बचत का प्रमुख स्त्रोत हैं। यह सभी लघु बचत योजनाएं विशेष अवधि में अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। भारतीय डाकघरों के माध्यम से संचालित होने वाली महिला सम्मान बचत पत्र योजना अन्य योजनाओं की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है, क्योंकि इस योजना में दो वर्ष में ही रकम आकर्षक ब्याज के साथ वापस हो जाती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष तक खाता संचालित रहता है। पब्लिक प्रॉवीडेंड फंड में भी रकम वापस प्राप्त करने के लिये 15 वर्षों का इंतजार करना होता है। इस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी लघु बचत को प्रोत्साहित करने में महिला सम्मान बचत पत्र योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ –

1. वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, 2023–24
2. ्.indiapost.com